रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042024-253626
CG-DL-E-09042024-253626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2024/चैत्र 19, 1946
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2024/CHAITRA 19, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

सं. एनईआईजीआर-ई.III/5/2022/पीटी.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांगमें **प्राध्यापक सह प्राचार्य, प्राध्यापक सह उप प्राचार्य, सह प्राध्यापक एवं ट्यूटर** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान,शिलांग शिक्षण सकाय ग्रुप 'ए' पद भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्रस्तावना

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ		संस्थान के नियमों के नियम 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएनर्सिंग शिक्षण संकाय पदों से संबंधित पदों को केंद्र सरकार की मंजूरी से शासी परिषद निम्नलिखित नियम बनाती है जिन्हें पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के भर्ती संशोधन नियम –2023 कहा जा सकता है। वे राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2.	उद्देश्य		शिक्षण के मानक को बनाए रखने हेतु न्यूनतम योग्यता और अनुभव वाले नर्सिंग शिक्षण संकाय की नियुक्ति एक अहम आवश्यकता है।
3.	परिभाषा	क	तदर्थ (अल्पकालिक) नियुक्ति: अल्पावधि अवधि के लिए की गई नियुक्ति जहाँ नियमित चयन में विलंब की परिकल्पना की गई है और पद को तत्काल भरने की आवश्यकता है।
		ख	नर्सिंग शिक्षण संकाय पद: इन नियमों की अनुसूची में शामिल पद।
		ग	नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी: किसी पद पर नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।
		घ	अनुबंध अधिकारी: व्यक्ति जिसे अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
		ङ	कैडर: किसी सेवा या सेवा के एक हिस्से की क्षमता को एक अलग इकाई के रूप में मंजूरी दी गई है।
		च	भर्ती का तरीका: भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी; "सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) ये पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति या अल्पावधि अनुबंध से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के मामले में, योग्य विभागीय उम्मीदवारों को भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी

			जाएगी। हालाँकि, ट्यूटर के पद के संबंध में, भर्ती की पद्धति केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
		छ	<u>कार्यवाहक नियुक्ति:</u> किसी रिक्त पद पर कार्य करने हेतु संस्थान के कर्मचारी की नियुक्ति।
		ज	<u>परिवीक्षा:</u> संस्थान में स्थायी सेवा/पद पर कर्मचारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु ट्राइल बेसिस पर नियुक्ति। यदि संस्थान की राय में अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है या सेवा में उसके द्वारा धारित पिछले पद पर वापस भेजा जा सकता है या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी जा सकती है। यह अस्थायी पद पर तथा प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति पर भी लागू नहीं होगा। परिवीक्षा की अवधि अनुसूची में कॉलम संख्या 9 में उल्लिखित है।
		झ	<u>स्थायी पद:</u> एक निश्चित वेतन दर वाला पद जिसे बिना किसी निश्चित समय सीमा के स्वीकृत किया जाता है।
		ञ	<u>स्नातकोत्तर योग्यता:</u> स्नातकोत्तर योग्यता का मतलब भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता है।
		ट	योग्यता: इन नियमों की अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पद के लिए अनुभव सहित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
		ठ	<u>चयन का तरीका:</u> निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों के माध्यम से नियुक्ति के लिए चयन किया जा सकता हैं- (i) साक्षात्कार, (ii) लिखित और/या व्यावहारिक परीक्षण (iii) मूल्यांकन या उपयुक्तता की कोई अन्य मान्यता प्राप्त विधि द्वारा।
		ड	<u>वेतनमान:</u> जो किसी विशेष पद से जुड़े न्यूनतम से आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा बढ़ता है।
		ढ़	<u>स्थायी चयन समिति:</u> नीग्रिम्स, शिलांग के ग्रुप ए संकाय पदों के लिए स्थायी चयन समिति की संरचना के अनुसार चयन समिति का वर्तमान गठन निमन्वत हुआ है: 1. अध्यक्ष (शासी परिषद द्वारा नामित) 2. सचिव (एच एंड एफडब्ल्यू) का नामांकित व्यक्ति या उसका नामांकित व्यक्ति (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं) 3. डीजीएचएस या उसका नामांकित व्यक्ति (अपर डीजीएचएस के पद से नीचे नहीं) 4. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति। 5. निदेशक, पीजीआईएमईआर या उनके नामांकित व्यक्ति।

			6. कुलपति, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (नेहु),शिलांग के नामांकित व्यक्ति। 7. सदस्य, शासी परिषद। 8. सदस्य, शासी परिषद। 9. स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ। 10. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में उपयुक्त उपयुक्त पद पर काम करने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि। 11. नीग्रिम्स या किसी अन्य संगठन में कार्यरत अल्पसंख्यकों और उपयुक्त पद का एक प्रतिनिधि। 12. निदेशक, नीग्रिम्स– सदस्य सचिव।
4	भर्ती करने की प्रक्रिया	क	विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है, जिसमें लिखित परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिए गए विवरणों एवं आवेदन और रेफरल से प्राप्त रिपोर्ट(यदि कोई हो) आदि के आधार पर भी उम्मीदवारों पर विचार कर सकता है। आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी संस्थान के हित में किसी विशेष पद के लिए कोई विशेष योग्यता/आवश्यकताएं निर्धारित कर सकता है।
		ख	समूह 'ए' पदों पर चयन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियम 9 द्वारा गठित स्थायी चयन समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा। किसी पद पर कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पद पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियम 15 और 16 के अनुसार सृजित न किया गया हो और पद विशेष की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो।
5	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति		ये पद केवल 'तत्काल अवशोषण आधार' क्लॉज़ की छूट के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पद्धति से भरे जाएंगे। समान पदों पर या एक स्तर नीचे के पदों पर काम करने वाले व्यक्ति विचार के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे सीधी भर्ती हेतु पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः एक समय में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुबंध पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले और 65 वर्ष की आयु सीमा पार न करने वाले व्यक्ति विचार के पात्र होंगे।
6	विशेषज्ञों की नियुक्ति		राष्ट्रपति के अनुमोदन से निदेशक विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं जिनमें संस्थान के संकाय के सदस्य और बाहर से ऐसे अन्य लोग शामिल हो सकते हैं जो संस्थान में शिक्षण पद/पदों और ऐसे अन्य पद/पदों पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने में चयन समिति की सहायता कर सके।

7	नियुक्ति की शर्तें	क	संस्थान में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए वेतनमान, भर्ती का तरीका, प्रवेश के समय ऊपरी आयु सीमा, योग्यताएं आदि इन नियमों की अनुसूची के अनुसार होंगी।
		ख	उन पदों के लिए जो अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बनाए और स्वीकृत किए गए हैं, योग्यता, अनुभव, प्रवेश के समय ऊपरी आयु, सीमा, भर्ती के तरीके आदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसे इन नियमों की अनुसूची में शामिल किया माना जाएगा।
		ग	इन नियमों की अनुसूची में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रविष्टि के संबंध में किए गए किसी भी संशोधन/संशोधन/परिवर्तन को अनुसूची में शामिल किया गया माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा समाप्त किये गये पद इन नियमों की अनुसूची से हटाये गये माने जायेंगे।
8.	स्क्रीनिंग समिति		नर्सिंग शिक्षण संकाय पदों के सभी आवेदनों की जांच निदेशक द्वारा गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी।
9.	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव		नर्सिंग संकाय पदों के संबंध में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव चयन समिति के विवेकाधीन है ताकि चयन समिति शिथिल शैक्षणिक योग्यता और अनुभवी उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले सके।
10.	अनुभव		अपेक्षित अनुभव पूरे किए जाने तक की प्रभावी तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी।
11.	कार्य आवश्यकता		विशिष्ट विशेषज्ञता की जहां आवश्यकता हो, उन पदों के समक्ष विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं को दर्शाया जाना चाहिए।
12.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का आरक्षण		इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
13.	व्याख्या		किसी भी नियम की व्याख्या या उक्त नियमों की अनुसूची में प्रविष्टियों के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक माना जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्राध्यापक सह प्राचार्य	1(2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12	लागू नहीं	आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक: **I.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हो। **II.** एमएससी (एन) के पश्चात **15** साल का अनुभव प्राप्त किया हो जिसमें कॉलेजिएट कार्यक्रम में न्यूनतम **5** साल के अनुभव के साथ **12** साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय:** पीएच.डी. (नर्सिंग)	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक (1) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र/राज्य सरकारों,स्वायत्त संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक निकायों के अधिकारी जिन्होने: I. क) नियमित आधार पर अनुरूप पोस्ट या ख) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो। और 2 कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
नीग्रिम्स, शिलांग के ग्रुप ए संकाय पदों के लिए स्थायी चयन समिति की संरचना के अनुसार।	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्राध्यापक सह उप प्राचार्य	1(2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12	लागू नहीं	आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक: **I.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हो। **II.** एमएससी (एन) के पश्चात **12** साल का अनुभव प्राप्त किया हो जिसमें कॉलेजिएट कार्यक्रम में न्यूनतम **5** साल के अनुभव के साथ **10** साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय:** पीएच.डी. (नर्सिंग)	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक (1) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र/राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक निकायों के अधिकारी जिन्होने: II. क) नियमित आधार पर अनुरूप पोस्ट या ख) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो। और 2 कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
नीग्रिम्स, शिलांग के ग्रुप ए संकाय पदों के लिए स्थायी चयन समिति की संरचना के अनुसार।	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सह प्राध्यापक	6(2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11	लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक: **I.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हो। **II.** एमएससी (एन) के पश्चात **8** साल का अनुभव प्राप्त किया हो। साथ ही **5** साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय:** पीएच.डी. (नर्सिंग)	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो (2) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र/राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक निकायों के अधिकारी जिन्होने: I. क) नियमित आधार पर अनुरूप पोस्ट या ख) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो। और

				2 कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
नीग्रिम्स, शिलांग के ग्रुप ए संकाय पदों के लिए स्थायी चयन समिति की संरचना के अनुसार।	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ट्यूटर	14(2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की हो।	लागू नहीं	दो (2) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
नीग्रिम्स, शिलांग के ग्रुप ए संकाय पदों के लिए स्थायी चयन समिति की संरचना के अनुसार।	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./013/2024-25]

NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

No. NEIGR-E.III/5/2022/Pt.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Professor cum Principal, Professor cum Vice Principal, Associate Professor and Tutor** in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Nursing Teaching Faculty posts (Group 'A') Recruitment amendment Rules, 2023 along with its preamble.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

PREAMBLE

1.	Short Tile and application	a.	In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Rules of the Institute, the Governing Council with sanctioned of the Central Government in so far as they relate to the Nursing Teaching Faculty posts only, hereby makes the following rules which may be called the **North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences Recruitment Amendment Rules – 2023**. They shall come into effect from the date of issue of the Gazette Notification.
2.	Objectives		Appointments of Nursing teaching Faculty with minimum qualification and experience are a necessary requirement to maintain a standard of teaching.
3.	Definition	a.	Ad-hoc (short term) appointment: Appointment made for a short-term period where delay in regular selection is envisaged and the post is required to be filled up urgently.
		b.	Nursing Teaching Faculty posts: Posts included in Schedule of these Rules.
		c.	Appointment/Competent Authority: The Competent Authority to make appointment to a post.
		d.	Contract Officer: A person appointed on contract basis.
		e.	Cadre: The strength of a service or a part of service sanctioned as a separate unit.
		f.	Mode of Recruitment: The recruitment will be carried out in the following manners; “By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract) These posts shall be filled up by direct recruitment failing which by deputation or short term contract. In case of direct recruitment, the eligible departmental candidates will also be allowed to compete, if otherwise eligible. However, in respect of the post of Tutor, the method of recruitment is by direct recruitment only.
		g.	Officiating appointment: Appointment of an Institute’s employee to officiate in a vacant post.
		h.	Probation: Appointment on trial to judge the suitability of the employee with a view to his/her ultimate absorption in the permanent service/post in the Institute. If the officer in the opinion of the Institute, is not found fit for permanent appointment, he may be discharged or reverted to the previous post held by him in the service or extend the period of probation. This will not be applicable in case of appointment against a temporary post and also on deputation/contract appointments. The period of probation is as mentioned in the Schedule at Column No.9
		i.	Permanent post: A post carrying a definite rate of pay sanctioned without limit of time
		j.	Post Graduate Qualification: Post Graduate Qualification means a Post Graduate Qualification recognized as per Indian Nursing Council Act.
		k.	Qualification: Academic and professional qualifications including experience prescribed for each post as per Schedule to these Rules.

		l.	Mode of Selection: Selection for appointment through one or more of the following methods (i) Interview, (ii) Written and /or practical test/s (iii) any other recognized method of evaluation or suitability
		m.	Scale of Pay: Which rises by periodical increments from minimum attached to a particular post.
		n.	Standing Selection Committee: As per the composition of Standing Selection Committee for Group A Faculty posts of NEIGRIHMS, Shillong. The present constitution of the Selection Committee is as under: 1. Chairman (as nominated by the Governing Council) 2. Nominee of Secretary (H&FW) or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) 3. DGHS or his nominee (not below the rank of Addl.DGHS) 4. Director, AIIMS, New Delhi or his nominee 5. Director, PGIMER or his nominee 6. Nominee of Vice Chancellor, North Eastern Hill University, Shillong 7. Member, Governing Council 8. Member, Governing Council 9. Two experts in the field of speciality/Super speciality 10. One representative of SC/ST an appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 11. One representative of Minorities and appropriate status working in NEIGRIHMS or some other organization 12. Director, NEIGRIHMS – Member Secretary
4	Procedure for making recruitments:	a.	The procedure to be followed for making recruitment to various categories of posts shall be as may be prescribed by the appointing authority for each category. The appointing authority may determine the procedure to follow for assessing the suitability of the candidates in making selection/s, which may include written test, practical test, holding of personal interview etc. It may also consider candidates on the basis of the particulars furnished in the application and the reports received from the referees, if any. The appointing authority may where necessary, prescribe any special qualification/requirements for any particular post in the interest of the Institute.
		b.	Selection to Group 'A' posts shall be made on the recommendations of the Standing Selection Committee constituted by the Institute Rule 9 of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong. No appointment to a post shall be made unless the post is created in accordance with Rule 15 & 16 of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong and approval of the Competent Authority has been obtained for the particular appointment.
5	Appointment on Deputation/Contract		The posts will be filled up by the method of deputation for a period of 5 years only in exemption of the clause on 'Immediate Absorption Basis'. Persons working in the analogous posts or in posts one level below shall be eligible for consideration provided they fulfil the requisite qualification and experience prescribed for the post as for a direct recruit. The period of deputation shall ordinarily not exceed 5 years at a time. In case of posts to be filled up on contract, persons having requisite qualifications and experience and who have not crossed the age of 65 years will be eligible for consideration.

6	Appointment of Experts		The Director may with the approval of the President invite experts who may include members of the Institute's faculty and such others from outside who are eminent in their respective filed of speciality to assist the Selection Committee/s in making selection/s of suitable candidate/s to teaching post/s and such other post/s in the Institute as may be considered by him.
7	Conditions of appointment	a.	The scale of pay, mode of recruitment, upper age limit at the time of entry, qualifications etc for appointment to various posts in the Institute, shall be as contained in Schedule to these Rules.
		b.	For posts not provided in Schedule, but created and sanctioned with approval of the competent authority, the qualifications, experience, upper age at the time of entry, mode of recruitment etc. may be prescribed by the appointing authority and the same shall be deemed to have been included in the Schedule to these rules.
		c.	Any modifications/amendments/changes made in respect of any entries in Schedule to these Rules by the competent authority, shall be deemed to have been incorporated in the Schedule. Similarly posts abolished by the order of the competent authority shall be deemed to have been deleted from the Schedule of these Rules.
8.	Screening Committee		All applications for Nursing Teaching Faculty posts will be scrutinized by a Screening Committee constituted by the Director.
9.	Academic Qualification / Experience		The academic qualification and experience in respect of the Nursing Faculty posts are relaxable at the discretion of the Selection Committee in order to enable the Selection Committee to interview the candidates with relaxed academic qualification & experience.
10.	Experience		The effective date upto which the requisite experience must be completed would be reckoned as on the last date of submission of application(s)
11.	Job requirement		Specific job requirements should be indicated against posts where specific expertise are necessary
12.	Reservation of Schedule Caste, Schedule Tribe, OBC & PWD		Nothing in these Rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
13.	Interpretation		In case of any doubt in respect of the interpretation of any of the Rules or the entries in the Schedule to these Rules, the decision of the Director shall be deemed as final and conclusive.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Professor cum Principal	1 (2023)	Group 'A'	Level 12 of Pay Matrix	Not applicable	55 years (relaxable for Govt.servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: i. M.Sc. Nursing from a recognized University. ii. 15 years experience after M.Sc.(N) out of which 12 years should be teaching experience with minimum of 5 years in collegiate programme. **Desirable:** Ph.D.(Nursing)	Not applicable	1 (one) year for direct recruits	By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract)	**<u>Deputation:</u>** Officers from Central / State Governments, Autonomous Organizations, Research Institutions Universities, Statutory Bodies holding: **A.** (a) Analogous posts on regular basis or (b) with five years' regular service in the grade rendered after appointment in Level 11 of the Pay Matrix in the parent cadre /department AND **B.** Possessing educational qualification and experience prescribed under column 7. The Period of deputation shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
As per the composition of Standing Selection Committee for Group A Faculty Posts of NEIGRIHMS, Shillong.	Not applicable

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Professor cum Vice Principal	1 (2023)	Group 'A'	Level 12 of the Pay Matrix	Not applicable	55 years (relaxable for Govt.servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: i. M.Sc. Nursing from a recognized University. ii. 12 years experience after M.Sc.(N) out of which 10 years should be teaching experience with minimum of 5 years in collegiate programme. **Desirable:** Ph.D.(Nursing)	Not applicable	1 (one) year for direct recruits	By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract)	**Deputation:** Officers from Central / State Governments, Autonomous Organizations, Research Institutions Universities, Statutory Bodies holding: **A.** (a) Analogous posts on regular basis or (b) with five years regular service in the grade rendered after appointment in Level 11 of the Pay Matrix in the parent cadre /department AND **B.** Possessing educational qualification and experience prescribed under column 7. The Period of deputation shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
As per the composition of Standing Selection Committee for Group A Faculty Posts of NEIGRIHMS, Shillong.	Not applicable

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Associate Professor	6 (2023)	Group ‘A’	Level 11 of Pay Matrix	Not applicable	40 years (relaxable for Govt.servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: (i) M.Sc. (Nursing) from a recognized University. (ii) 8 years experience after M.Sc.(N) including 5 years teaching experience **Desirable:** Ph.D.(Nursing)	Not applicable	2 (two) years for direct recruits	By Direct Recruitment failing which by deputation (including short term contract)	**<u>Deputation:</u>** Officers from Central / State Governments, Autonomous Organizations, Research Institutions Universities, Statutory Bodies holding: **A.** (a) Analogous posts on regular basis OR (b) with five years regular service in the grade rendered after appointment in Level 10 of the Pay Matrix AND **B.** Possessing qualification and experience as prescribed in column 7 above. The Period of deputation shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
As per the composition of Standing Selection Committee for Group A Faculty Posts of NEIGRIHMS, Shillong.	Not applicable

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Tutor	14 (2023)	Group 'A'	Level 10 of the Pay Matrix	Not applicable	35 years (relaxable for Govt.servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: M.Sc.(N) from a recognized Institution / University.	Not applicable	2 (two) years	Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
As per the composition of Standing Selection Committee for Group A Faculty Posts of NEIGRIHMS, Shillong.	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./013/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.09 22:28:49 +05'30'